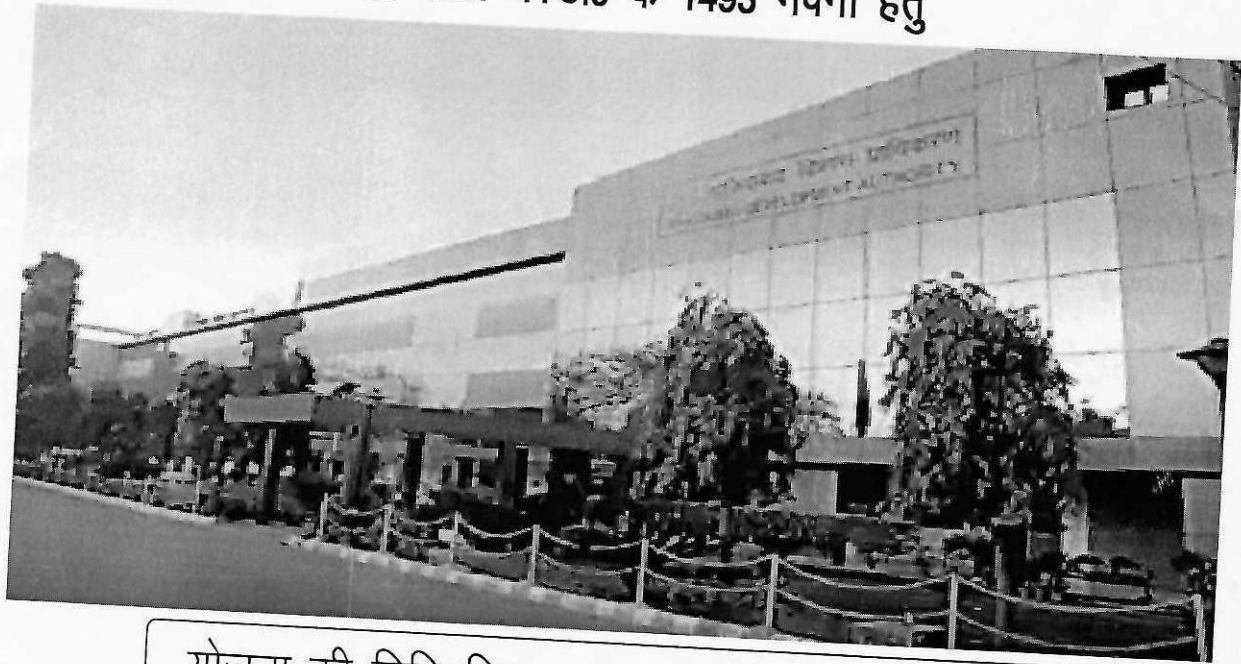




प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

अन्तर्गत मैं0 एस0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 परियोजना
एस0जी0एस0 सिटी-1, खसरा सं0-46 व 47 ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर, खसरा
सं0-126, 128 व 129 ग्राम मिर्जापुर, एन0एच0-24 गाजियाबाद की योजना
सं0-932-41डी0 के 1493 भवनों हेतु



योजना की तिथि दि0-15.12.2025 से 15.01.2026 तक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

“प्रधानमंत्री आवास योजना” ब्रोशर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता में 0 एस0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 परियोजना एस0जी0एस0 सिटी-1, खसरा सं0-46 व 47 ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर, खसरा सं0-126, 128 व 129 ग्राम मिर्जापुर, एन0एच0 गाजियाबाद पर निर्माणधीन दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) भवनों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विवरण निम्नवत् है:-

1.0- निजी विकासकर्ता द्वारा निर्माण कराये जा रहे दुर्बल आय वर्ग के (ई0डब्लू0एस0) भवनों का विवरण :-

क. सं.	योजना का नाम	भवनों की संख्या	रेरा की पंजीकरण संख्या	भवनों का कारपेट एरिया	योजना कोड/सम्पत्ति कोड	पंजीकरण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (पी0एम0ए0वाई0) के अन्तर्गत में 0 एस0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 परियोजना एस0जी0एस0 सिटी-1, खसरा सं0-46 व 47 ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर, खसरा सं0-126, 128 व 129 ग्राम मिर्जापुर, एन0एच0-24 गाजियाबाद	1493	UPRERAPRJ3 23594/10/2025	22.83 वर्ग मीटर अधिकतम 22.96 वर्ग मीटर	932-41D	5000/-

*नोट- भवनो की संख्या/भवनों का कारपेट एरिया घट/बढ़ सकती है।

2.1 भवन का अन्तिम मूल्य	Rs. 4.49 लाख	(शासनादेश अनुसार भवनों का मूल्य घट/बढ़ सकता है)
केन्द्रीय अंशदान (अनुदान)	Rs. 1.50 लाख	
राज्य अंशदान (अनुदान)	Rs. 1.00 लाख	
लामार्थी द्वारा देय अंशदान	Rs. 1.99 लाख	
पंजीकरण शुल्क	Rs. 5000.00	

शासनादेश संख्या-646/आठ-1-17-36विविध/2017 दिनांक 30 मई 2018,

शासनादेश संख्या-2379/आठ-1-79बैठक/2017 दिनांक 24 दिसम्बर 2018,
शासनादेश संख्या-20/2020/532/आठ-1-20-80विविध/2020 दिनांक 18.03.2020
शासनादेश संख्या-21/2020/531/आठ-1-20-106विविध/2018 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार

3.0 पात्रता

- 3.1- आवेदक भारत का नागरिक हो तथा जिला गाजियाबाद का निवासी होना चाहिए।
- 3.2- योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- 3.3- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (उसके पति/पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाईयां) नहीं होनी चाहिए।
- 3.4- दुर्बल आय वर्ग (ई डब्ल्यू एस.) श्रेणी के भवनों हेतु Rs 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत वैध आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.5- उपरोक्त पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होंगे। आवेदन के पश्चात उनकी पात्रता का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण गाजियाबाद द्वारा किये जाने के उपरान्त पात्र आवेदक ही लाटरी/ड्रा में शामिल किये जायेंगे।
- 3.6- इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होगा और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरुष सदस्य के नाम में किया जा सकता है।

4.0 पंजीकरण राशि

- 1- पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑन लाईन खाता सं० VCGDAPMAY-BUILDERS-50100299389347 HDFC बैंक, शाखा राजनगर, गाजियाबाद में नई टी0आई0डी0 नं०-76044996 पर ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा।

5.0 आवंटन

- 5.1- आवेदन पत्र का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण गाजियाबाद (डूडा गाजियाबाद) द्वारा किया जायेगा। डूडा द्वारा सत्यापित पात्र आवेदक ही ड्रा/लाटरी में सम्मिलित होंगे। अपात्र आवेदकों का आवेदन निरस्त समझा जायेगा।
- 5.2- योजना हेतु प्राप्त आवेदन की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त आवेदक की सूची लाटरी से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची की प्रविष्टियों में आपत्ति एवं आवश्यक

संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में प्रत्यावेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 5.3— पात्र आवेदकों को भवनों का आवंटन गठित कमेटी द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- 5.4— पात्र आवेदकों को मैन्युअल लाटरी/ड्रा के आधार पर आवंटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5.5— लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर उपलब्ध होगा।
- 5.6— आवंटी को विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर स्वयं करना होगा।
- 5.7— भवन आवंटन के उपरान्त 05 वर्ष तक भवन का विक्रय नहीं किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बंधक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नीलामी/विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी में वसूली की जायेगी। कब्जे की तिथि से 05 वर्ष तक उक्त ईकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा। 05 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जा सकेगा। यदि 05 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त ईकाई का उपयोग स्वयं नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त ईकाई सम्बन्धित प्राधिकरण में निहित हो जायेगी, तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।
- 5.8— आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोग के लिए ही किया जायेगा।

5.9— किश्तें

- (1) आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा मात्र रु 5,000/- (पांच हजार मात्र) पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि 06 तिमाही किश्तों में जमा की जायेगी।
- (2) किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्ब अवधि पर नियमानुसार 10.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
- (3) जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।

6.0 पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 6.1— आवेदक लाटरी ड्रा से पूर्व पंजीकरण को निरस्त करने का आवेदन करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं किन्तु लाटरी की तिथि निर्धारण की सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त पंजीकरण धनराशि वापस नहीं होगी।
- 6.2— यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

- 6.3— यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 6.4— आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 6.5— भुगतान विवरण के अनुसार किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
- 6.6— यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अन्तिम तिथि से 1 वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।
- 6.7— अपात्र आवेदक लाटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा है तो उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज एक माह के अन्दर आर.टी.जी.एस. द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित करना अनिवार्य है।

7.0 कब्जा

- 7.1— प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य एवं अन्य व्ययों के भुगतान, निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निबन्धन के साथ ही आवंटी को भवन का कब्जा दिया जायेगा। निबन्धन में आने वाला व्यय (स्टाम्प पेपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 7.2— सूचित अवधि में पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क Rs 200.00 प्रतिमाह देय होगा। भवन कब्जा 6 माह तक न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7.3— नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।
- 7.4— विकसित योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय/R.W.A को हस्तान्तरण होने तक उनका रखरखाव निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेंट्स में कामन सुविधाओं के रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि का "अनुरक्षण फण्ड" तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि का "कारपस फण्ड" बनाया जायेगा उक्त दोनों फण्ड में

सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तगत कर दी जायेगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम पांच वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। पांच वर्ष से पूर्व R.W.A का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों में एवं सामाहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी। चार मंजिला से अधिक तलों के अपार्टमेन्ट भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु 1 प्रतिशत तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्य हेतु 1 प्रतिशत प्रति इकाई का अतिरिक्त कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों अतिरिक्त फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जा की दिनांक से अधिकतम पांच वर्ष तक विकासकर्ता द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा।

8.0 भवनों का प्रयोग

8.1— आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

9.0 पट्टा विलेख

9.1— भवनों का आवंटन 90 वर्ष की लीज के आधार पर किया जायेगा। यदि अन्तिम मूल्य अनुमानित मूल्य से बढ़ता है तो अनुमानित मूल्य एवं अन्तिम मूल्य के अन्तर की राशि कब्जा/पट्टा अनुबंध से पूर्व देय होगी।

9.2— आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त तीन महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

9.3— पट्टा विलेख पंजीकरण से पूर्व आवंटी को ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

10.0 आरक्षण

10.1— उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-1022/आठ-1-18-93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सबके लिए (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में निम्नानुसार "वरीयता नीति" की व्यवस्था की गयी है:-

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्रम सं	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्रम सं	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.5 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)

- 10.2— आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 10.3— वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक आयु 60 वर्ष से कम ना हो।
- 10.4— आय प्रमाण सक्षम अधिकारी, गाजियाबाद से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11.0 अन्य सामान्य नियम व शर्तें

- 11.1— योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है, जो अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा। जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।
- 11.2— आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।
- 11.3— आवंटन के पश्चात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्त/नियम समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इन में किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे। यदि विकासकर्ता द्वारा सेवा में कमी की जाती है, तो उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.4— इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

11.5— किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।

12.0 आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:—

12.1— यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तातरित कर दिया जायेगा।

13.0 आवेदन कैसे करें :-

13.1— योजना में आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे।

13.2— योजना में आवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर दिये गये लिंक <http://pmay.gdaghaziabad.in> पर किये जायेंगे।